

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2366/अलीगढ़-22272/2016, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 09, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : अलीगढ़ में 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़-प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 02 पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यू0पी/04/54/2017/एफ0सी0/695, दि0 14.12.2017
उ0प्र0शासन का पत्रांक-भा0स0 310/14-2-2017-800(80)/2017, दिनांक 27.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाएं एवं अभिलेख उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने हेतु शासन के संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचना/अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक-2284/14-1, दिनांक 16.01.2018 द्वारा वांछित सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 16.01.2018 की संलग्नक सहित दो मूल प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि एक प्रति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज लखनऊ प्रेषित कर स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- मुख्य प्रबन्धक, गुड़गाँव पलवल पारेषण लाईन, एफ-1, मीर कार्पोरेट सूट, ईश्वरनगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।